।। कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर ।।

कमांक / स्था. / 2025 / 40349 दिनांक :– 11 DEC 2025

:: आदेश ::

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के पत्र जी / आई / ए–4(प)()130 / 13 / 1170 दिनांक 06.12.2025 के द्वारा इस न्यायक्षेत्र के निम्नलिखित सेवानिवृत्त कार्मिकों की संविदा सेवायें लिपिक ग्रेड द्वितीय के रिक्त पदों के विरूद्ध लिये जाने की अनुमति प्रदान की गई है।

अतः इन सेवानिवृत्त कार्मिकों उनके नाम के सम्मुख अंकित कार्यालय में लिपिक ग्रेड द्वितीय के रिक्त पद के विरूद्ध, पुनर्नियुक्ति के संबंध में समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों के अधीन राजस्थान सेवा नियम के नियम 164–ए के तहत, कॉलम संख्या–5 में अंकित प्रतिमाह देय समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति प्रथम बार एक वर्ष के लिए अथवा नियमित कर्मचारी उपलब्ध होने अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने की तिथि में से जो भी पहले हो, तक की अवधि के लिये निम्न शर्तों के अध्यधीन पुनर्नियुक्ति प्रदान की जाकर, पदस्थापित किया जाता है :–

क.सं.	नाम सेवानिवृत्त कार्मिक	पदस्थापन कार्यालय का नाम	कार्यव्यवस्था कार्यालय का नाम	प्रतिमाह देय समेकित पारिश्रमिक
1	2	3	4	5
1.	श्री राजेश शर्मा, से.नि. प्रोटोकॉल अधिकारी कम प्रशासनिक अधिकारी	पोक्सो न्यायालय सं. 3, अलवर	वाणिज्यिक न्यायालय, अलवर	46,400 / –
2.	श्री घनश्याम दास, से.नि. रीडर ग्रेड द्वितीय	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं. 2, अलवर	–	19,800 / –

पुनर्नियुक्ति की शर्तें:–

1. समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्त कार्मिक एक वर्ष में 12 दिवस वैतनिक आकस्मिक अवकाश के हकदार होंगे। वे राजस्थान सेवा नियम, 1951 के अधीन उपार्जित अवकाश या अन्य किसी प्रकार के अवकाश के हकदार नहीं होंगे। बिना अवकाश के प्रत्येक दिवस की अनुपस्थिति के लिए मासिक पारिश्रमिक का 1 / 30 भाग काटा जायेगा।
2. राजकीय कार्य से यात्रा करने पर यात्रा भत्ता कार्मिक(क–2) विभाग के संशोधित परिपत्र कमांक एफ.17(10) डीओपी / ए–II / 94 दिनांक 26.06.2019 के अनुकम में राजस्थान यात्रा भत्ता नियम,1971 के नियम 5(4) के प्रावधान के अनुसार अनुज्ञात होगा।
3. पुनर्नियुक्ति सेवाएं 15 दिवस का पूर्व नोटिस देकर सक्षम प्राधिकारी द्वारा समाप्त की जा सकेंगी।
4. राजकीय हित में पुनर्नियुक्ति की अवधि एक वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो,तक अभिवृद्धि आपसी सहमति से की जा सकेगी।
5. पुनर्नियुक्ति के दौरान दूरभाष / मोबाईल / इन्टरनेट व्यय का पुनर्भरण अनुज्ञेय नहीं होगा।
6. पुनर्नियुक्ति अवधि के दौरान कोई चिकित्सा व्यय पुनर्भरण अनुज्ञेय नहीं होगा।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
अलवर (राज०)

नोटः–

1. उपरोक्त सेवानिवृत्त कार्मिकों को इस आदेश की प्राप्ति के 07 दिवस के अन्दर संबंधित पदस्थापन कार्यालय में उपस्थिति देनी होगी, अन्यथा उनका पुनर्नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आदेश के क्रम सं. 1 पर अंकित संविदा कार्मिक के संबंध में पीठासीन अधिकारी को निर्देश है कि कार्मिक द्वारा उनके कार्यालय में उपस्थिति देने पर उसे तुरन्त प्रभाव से कार्यव्यवस्था कार्यालय में उपस्थिति देने हेतु कार्यमुक्त किया जाना सुनिश्चित करें।
3. पीठासीन अधिकारी को निर्देश है कि वे संबंधित सेवानिवृत्त कार्मिकों की उपस्थिति रिपोर्ट की प्रतियॉ नियमानुसार इस कार्यालय को भिजवावे।

(अनन्त भण्डारी)
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
अलवर

क्रमांकः स्था/2025/40350-357 दिनांक 11 DEC 2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

01. न्यायाधीश, वाणिज्यिक न्यायालय, अलवर
02. न्यायाधीश, पोक्सो न्यायालय सं. 3, अलवर
03. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं. 2, अलवर
04. लेखाशाखा/रक्षित पत्रावली
05. संबंधित से.नि. कर्मचारी श्री
06. सिस्टम ऑफिसर को जिला एवं सेशन न्यायालय, अलवर की वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित न्यायालय को ई–मेल करने हेतु।

11.12.2025
(अनन्त भण्डारी)
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
अलवर